प्रति निर्णय दिनांक 3-12-19
स्थगन प्रार्थना पत्र सं. 21/ 8/2019
श्रीमान अतरी [illegible] [illegible]
न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर जालोर

3-12-19 वकुलाम उपस्थित। इस प्रकरण से संबंधित मूल निगरानी में निर्णय हो चुका है। अतः अब इस स्थगन प्रार्थना पत्र का कोई औचित्य नहीं होने से यह स्थगन प्रार्थनापत्र खारिज किया जाता है। इसमें जारी अन्तरिम स्थगन आदेश भी निरस्त किया जाता है। पत्रावली पर फसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। आदेश सरे इजलास सुनाया गया। यह प्रकरण मूल निगरानी के साथ संलग्न किया जावे।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
जालोर (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Chhagan Lal Goyal
Date: 2019.12.12 16:27:32 IST
Reason: SelfAttested